

# मध्यप्रदेश विधान सभा

आकटूबर - दिसम्बर, 1999 सप्तम

## कानूनिक कार्यसूची

बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 (कार्तिक 5, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृष्ठकल: विस्तरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

### 2. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदेशी वन मण्डल अन्तर्गत वनों की अवैध कार्ड कर वन भूमि पर कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री केमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, राजनीतिकार्य जिले के छुरिया थाने को नक्सलवादियों द्वारा लूटे जाने की घटित घटना की ओर यह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141-राजिम से निर्वाचित सदस्य, श्री श्यामाचरण चूकल तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 245-भोजपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना।

### 5. सभापति तालिका की घोषणा

### 6. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वचन

श्री सज्जन सिंह बर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 7 जुलाई, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अलार्किश्ट प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 1041) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वकाल्य किए।

### 7. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) डॉ. प्रेमसायं सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटररथान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 31 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री सल्यनारायण शर्मा, लाणिजियक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 32 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

### 8. संकल्प

डॉ. प्रेमसायं सिंह, राजस्व मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"यह सदन इस वर्ष माह सितम्बर में प्राकृतिक आपदाओं से अपने प्राण विसर्जित करने वाले मध्यप्रदेश राज्य के नागरिकों को अद्याजलि अपेक्षित करने हुए ताजो प्रभावितों के प्रति संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश में आई बाद, अतिवृष्टि, भू-स्खलन तथा सूखे जैसी स्थिति से उत्पन्न द्विभीषिका के शिक्षर नागरिकों और किसानों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा निधि से राज्य सरकार को उसके द्वारा इस संदर्भ में भेजे गये दो आपनों की अपेक्षानुसार क्रमशः रूपये 195.27 व 361.61 करोड़ की धन राशि तत्काल उदारतापूर्वक उपलब्ध कराये।"

ओपाल :  
दिनांक : 26 अक्टूबर, 1999

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा